पत्र संख्या–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)–01–03 / 2025(पार्ट)–..... /

बिहार सरकार

संसदीय कार्य विभाग

प्रेषक,

अनुपम कुमार,
सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–....., 2026

विषय :– राज्य में लागू अध्यादेशों को अधिनियमित करने हेतु की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा बिहार विधान मंडल का प्रत्येक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व राज्य में लागू अध्यादेशों को अधिनियमित करने के संबंध में पत्र निर्गत किए जाते रहे हैं। पत्र में उल्लेख रहता है कि –

"राज्य में लागू अध्यादेशों को, जिन्हें विगत सत्र में अधिनियमित नहीं कराया जा सका और जिनकी आवश्यकता अभी भी बनी हुई है, उन्हें विधान मंडल के आगामी सत्र में अधिनियमित कराने की दृष्टिकोण से सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अध्यादेशों को बिना किसी संशोधन के अधिनियमित कराने हेतु पुनः मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

अध्यादेशों को किसी प्रकार के संशोधन की दशा में ही संबंधित प्रशासी विभाग मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

अनुरोध है कि तदनुसार समय सीमा के भीतर आवश्यकतानुसार अध्यादेशों को अधिनियमित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।"

विगत वर्षों में ऐसा पाया गया है कि राज्य में लागू अध्यादेशों को संशोधन की स्थिति में अथवा बिना किसी संशोधन की स्थिति में भी अधिनियमित कराने के पूर्व मंत्रिपरिषद् का पुनः अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है। जबकि संसदीय कार्य विभाग के पत्र में अध्यादेशों में किसी प्रकार के संशोधन की दशा में ही प्रशासी विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किए जाने का ही उल्लेख रहता है।

इस संबंध में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा विधिक परामर्श दिया गया है कि यदि अध्यादेश में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है तो अधिनियमित कराने हेतु पुनः मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी (प्रति संलग्न)।

अतः अध्यादेशों को अधिनियमित कराने हेतु संसदीय कार्य विभाग द्वारा निर्गत पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

ह0 / –
(अनुपम कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)–01–03 / 2025(पार्ट)–..... / पटना, दि0–..... 2026

प्रतिलिपि–प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना एवं सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(राजेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–1 / वि0मं0(सत्र)–01–03 / 2025(पार्ट)–247 / पटना, दि0 13.02.2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.02.2026
सरकार के अपर सचिव।

-05

पृष्ठ संख्या-04 पर प्रशासी विभाग द्वारा गठित परामर्श अंश -'क' के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है।

B.S Mehrotra
03.12.25
बालमनी शंकर मेहरोत्रा

~~सचिव~~

A.K. Singh
07.12.25
अंजनी कुमार सिंह
वि० महाधिवक्ता

पत्राचार [illegible] 1594/C
[illegible] 4/12-25

83/2004
31/12/25

There does not seem any ambiguity in regard to presenting a bill for enactment before the State legislature, which subject has already been covered under an ordinance, no approval of ~~[illegible]~~ Cabinet is required if there is no amendment proposed in the Contents of existing ordinance. When State Government has already decided the issue vide its decision communicated in its letter dt 6th Feb, 2001 and further reiterated in communication dated 26.06.2025. It would appear that in accordance with decision of State Government, fresh approval of Cabinet is not required if the same ordinance is being presented for enactment without any amendment.

L.R.

P.K. Shahi
6/12/25
Advocate General
High Court

THE OFFICE OF THE
ADVOCATE GENERAL BIHAR
HIGH COURT PATNA
U.O.I. No. 1596/25
DATE 06-12-2025

विधि परामर्श [illegible] विधि
08 DEC 2025
बिहार, पटना

SK